International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.10 No.6 July-Aug 2023

महिला सशक्तीकरण : पंचायती राज व्यवस्था में महिलायें

सोहन सिंह[1], ज्योति शुक्ला[2]

[1]शोधकर्ता, शिक्षा शास्त्र विभाग, सी.एम.पी. कॉलेज प्रयागराज

इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रयागराज

[2]सह- शोधकर्ता, शिक्षा शास्त्र विभाग, सी.एम.पी. कॉलेज प्रयागराज

इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रयागराज

Corresponding Author – सोहन सिंह

Email- rescholar.sohan10082020@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.8318538

शोध सारांश

पंचायती राज संस्थओं की अधिकांश महिलायें या तो अशिक्षित हैं या फिर आंशिक रूप से शिक्षित हैं जिससे समस्याओं को समझने एवं कार्यक्रमों को करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है । इससे महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है । इसके साथ ही दायित्वों के प्रति गंभीरता तथा अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का विकास हुआ है । महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से स्थानीय जन समूहों को जोड़ना, आर्थिक स्वावलम्बन, एवं सामाजिक स्थिति में सुधर हुआ है । अतः स्पष्ट है कि संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम महिला सशक्तीकरण का प्रगति पथ है । त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है । आज महिलायें न सिर्फ प्रमुख राजनीतिक पदों को सुशोभित कर रही हैं बल्कि पदों से सम्बंधित कार्यों को बहुत रूचि और लगन के साथ कार्य कर रही हैं और अपने क्षेत्र को मजबूत बना रही है ।

Keyword: राजनीतिक सहभागिता, महिला सशक्तीकरण, आर्थिक स्वावलम्बन, सामाजिक स्थिति ।

प्रस्तावना

भारतीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने अन्य महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है और अनेकों बाधाओं एवं गैर राजनीतिक परिवारों के बावजूद मिल रहे अवसरों से अपने तथा ग्राम समाज के विकास की ललक में वे जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है ।

21 वीं सदी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओ की उपस्थिति की गति धीमी अवश्य है परन्तु निष्प्रभावी नहीं । 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलओं के लिए 33% सीटें आरक्षित किये जाने से महिलओं के सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है । जहाँ वर्ष 2022 में भारत में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 15 लाख है । जबकि प्रथम लोक सभा में 24 महिला सांसद और आज 16 वीं लोकसभा में 68 हैं । वही प्रथम राज्य सभा में 15 महिला सांसद और वर्तमान में 68 हैं । अनेक राज्यों में महिला आरक्षणों की भी व्यवस्था की गयी है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायती राजव्यवस्था –

आज़ादी के उपरांत पंचायतों को महत्व प्रदान किया गया और संविधान के अनुच्छेद 40 द्वारा राज्यों को पंचायतों के गठन का अधिकार प्राप्त हुआ तथा संविधान की 7 वीं अनुसूची की प्रविष्ट 5 में ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करके करके उससे सम्बंधित कानून बनाने का अधिकार भी राज्यों को प्राप्त हुआ । 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामो द्वार समिति का गठन कर ग्राम समूहों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित पंचायतों खंड स्तर पर निर्वाचित तथा नामित सदस्यों वाली पंचायत समितियों तथा जिला स्तर पर जिला परिषद गठित करने का प्रस्ताव दिया जिसे 1 अप्रैल 1958 से लागू किया गया । इस संस्तुतियों के आधार पर 1959 को राजस्थान की विधान सभा ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया और इन्ही अधिनियमों के प्रावधानों पर उसी वर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत व्यवस्था लागु हुई । पंचायत संस्थाओं के कार्यो की समीक्षा तथा उसमे सुधार के लिए 1986 में एल एम सिंधवी समिति का गठन किया गया जिसमे ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए गाव के पुनर्गठन की सिफारिस की गई । " नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फ़ॉर द विमेन 1988 ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक 30 % सीटों के आरक्षण के संस्तुति की इस प्रकार 1974 गठित समिति ने ऐसी पंचायते बनाये जाने की संस्तुति की जिसमें सिर्फ महिलाएं हो ।

1989 में 64वें संविधान संशोधन लोक सभा में पेश किया गया जिसमे पंचायती राज संस्थाओ को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए लोक सभा में पेश किया गया जो लोकसभा द्वारा पारित किन्तु राज्यसभा द्वारा न मंजूर कर दिया गया । इसके पश्चात 1991 को 72 वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया जिसे प्रवर समिति को सौपा गया जिसने 1992 में इस विधेयक पर अपनी सहमती

प्रदान की और विधेयक का क्रमांक बदल कर 73वां संविधान संशोधन हो गया । जिसे 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा सहमती प्रदान की गई और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया जिसमे एक नवीन अध्याय 9 जोड़ा गया इसे अध्याय में पंचायत शीर्षक से अनुच्छेद 16 एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा इसमें 29 विषय सम्मिलित हैं इस अधिनियम सन्देश के लोकतान्त्रिक मे नया युग आरम्भ हुआ और पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई । पंचायती राज्यों ने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों को 9 विषयों में विभाजित किया है जिससे की केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संसाधनों का उपयोग कर विकास किया जा सके । जो निम्नलिखित हैं :-

1. **स्वास्थ्य ग्राम-** स्वास्थ्य की जाँच शत प्रतिशत टीकाकरण ,संथागत प्रसव पोषण और प्रारंभिक बाल देखभाल द्वारा सभी के लिए स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना ।
2. **आजीविका युक्त ग्राम-** आय के स्तर मेंवृद्धि करना तथा रोजगारमुखी योजनायें सुनुश्चित करना ।
3. **बाल हितैषी -** ग्राम विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, बच्चो को टीकाकरण, ड्राप आउट कम करना, बालश्रम एवं बाल तस्करी पर रोक ।
4. **पर्यावरण स्वच्छ जल-** हर घर में पीने योग्य स्वच्छ जल की व्यवस्था एवं गंदे जल का उपचार शुद्धिकरण आदि करना ।
5. **स्वस्थ एवं हरित ग्राम-** ग्रामों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हरित आवरण में वृद्धि करना, जैव विविधता का संरक्षण।
6. **आत्मनिर्भर ग्राम-** ग्रामो में ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक सेवा केंद्र एवं स्कूलों में बालक एवं बालिकाओं के लिए प्रथक जलवायु शौचालय ,सड़के एवं सड़के उर्जा चलित स्ट्रीट लाईट ।
7. **सुरक्षित ग्राम -**ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाना एवं लोगों को विभिन्न योजनाओ के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना सामाजिक दिव्यांग जनोमं को बुनियादी सुविधाए उपलब्ध करना आदि ।
8. **सुशासित ग्राम** – बेहतर सार्वजानिक वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वार्ड महिला,बाल और ग्राम सभा का नियमित आयोजन ,कार्यात्मक स्थाई समितियां ,ग्राम समितियां आदि ।
9. **महिला हितैषी ग्राम** – गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, एंटिनल और पोस्ट नेटल केयर, महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कमी लाना महिलाओं का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना ।
10. **कार्पोरेट से पंचायत** – यह पद जिम्मेदारी का अहसास अवश्य कराता है पंचायत और कार्पोरेट को परस्पर जोड़ने से विकास कार्यों में आशातीत सफलता मिलती है ।
11. **घूँघट के पार** – रुढियों से जकड़े समाज में महिलाओं और दुनिया के बीच एक पर्दा था जो आज भी कई छेत्रों में मौजूद है , इसे ही घूँघट कहते है यह महिलाओं को वास्तविक दुनियां में प्रवेश करने से रोकती है किन्तु एक बार घूँघट के जकड से आजाद हुई तो सबके सामने है ।
12. **पंचायत की डॉक्टर** – एक दो छेत्र में एम बी बी यस महिला डॉक्टर सरपंच हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया साथ ही लड़कियों की शिक्षा , टीकाकरण के प्रति भी जागरूक कर बदलाव की बयार बही ।
13. **कोई अगूठा न लगाएगा** – कुछ क्षेत्रों की महिला सरपंचों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगो को व्यवहारिक रूप से साक्षर किया जिससे गाँव का हर सदस्य को हस्ताक्षर करना आ गया ।
14. **स्वक्षता अभियान** – स्वक्षता अभियान में सबसे सक्रिय भूमिका महिलाओं के रही है महिलाओं ने अलग प्रयोगों माध्यम से स्वस्वच्छता अभियान को नया आयाम दिया ।
15. **शौचालय युक्त घर** – हर घर की बुनियादी आवश्यकता शौचालय है जिसके बिना घर को पूरा नही कहा जा सकता है इसके लिए महिलाओं ने एकजुट होकर कार्य किया जो परिवर्तन की पहल थी कुछ स्थानों पर घरो के साथ साथ सार्वजानिक शौचालयों का भी निर्माण किया गया तथा उसकी देख रेख का भी प्रबंध किया गया ।

पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता –

संविधान के 73 वें संशोधन के पश्चात पंचायतों में महिलाएं को आरक्षण प्राप्त होने के पश्चात पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है अधिकांश राज्यों में महिला प्रतिनिधियों की सख्या आरक्षित सीटों में अधिक है जो यह बताती है की महिलाओं की कार्य क्षमता और नेतृत्व शक्ति पर जनता का भरोसा बढ़ा है राज्य मशीनरी ने भी महिला प्रतिनिधियों को पंचायत के लिए अनुकूल माना पंचायत की व्यवस्था जिन मौलिक प्रश्नों एवं दैनिक आवश्यक सुविधाओ को संबोधित करती है उनकी समझ महिलाओं को अधिक है ।

पंचायत में महिलाओं की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक –

1. पारंपरिक सोच के कारण अनेकों परिवार महिलाओं का स्थान घर मानते हैं तथा स्वतंत्रता सीमित होती है ।
2. पर्दा प्रथा, रीति - रिवाज़ तथा पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं की उपस्थिति कम ।
3. ग्रामीण महिलाएं अधिकांशतः कृषि कार्य एवं पालन – पोषण में व्यस्त होने के कारण ।
4. वर्ण व्यवस्था के कारण

5. जातिगत भेदभाव एवं लिंगगत भेदभाव के कारण भी महिलाओं के उपस्थिति कम है।
6. ग्रामों में अशिक्षा एवं निरक्षर महिलाओं की संख्या अधिक होती है जिस कारण वे प्रशासनिक कार्यों से अज्ञान होती है।

महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ –

महिलाओं के समक्ष अनेकों प्रकार की चुनौतियाँ होती है जिसका सामना उन्हें पंचायत का पद ग्रहण करने के पश्चात पग पग पर सामना करना पड़ता है । महिला प्रतिनिधियों को चरित्र हनन के स्तर पर उतर कर हतोत्साहित किया जाता हैं । लिंग विभेद के अतिरिक्त जातीय विभेद और दल गत राजनीति भी महिला प्रतिनिधियों के समक्ष बड़ी चुनौती है। लेखा - जोखा रखने सम्बन्धी चुनौती, डिजिटल निरक्षरता कार्य प्रणाली, नियम, अधिनियम, शासनादेशों की उचित जानकारी का न होना। कागजी कार्यो में परावलंबन की अधिकता तथा पित्रसत्तात्मक व्यवस्था आदि अनेकों चुनौतियां हैं।

समाधान –

पंचायत की बैठकों में महिलाओं की न्यूनतम संख्या तथा उपस्थिति को सुनुश्चित करना।

अधिक रूप से कमजोर महिलाओ का पारिश्रमिक निश्चित हों ।

महिलाओं को विशेष रूप से शिक्षित करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिये जिससे उन्हें प्रशासनिक जानकरी हो सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उन्हें प्रशासनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान कराना।

निष्कर्ष –

पंचायत ऐसी संस्था है जो जमीनी – स्तर पर एक खुली और जवाबदेही प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आम सहमती प्रप्ति कर सकती है। ऐसे में महिलाओं को अवसर प्राप्त होता है तब वह अपनी काबिलियत से शानदार सफलता प्रोत करती है । पंचायत प्रतिनिधि के रूप में प्रशासनिक को ठीक आर्थिक उन्नति को स्वयं सहायता समूहों द्वारा गति प्रदान करना तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध विरोध करना हो वह अधिक सहजता से करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज भारतीय महिलाये विश्व और लोकतंत्र दोनों को प्रभावित व पुष्ट करने वाली साबित हो रही है ।स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, पर्यावरण से लेकर लोक कला तक के विविध स्रोतों को नए तरीके से इन्होने संवारा है। स्वयं सहायता समूह भी महिलाओ को सशक्त बना रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा विभिन्न सहायता समूहों की सहायता से छोटी इकाइयों का संचालन कर महिलायें आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

सन्दर्भ सूची –

1. पाण्डेय प. प . ,(2014). पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता ; एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण, प्रष्ठ संख्या 89 – 93, राधा कमल मुखर्जी, चिंतन परंपरा ,बरेली उत्तर प्रदेश।
2. डा. त्रिपाठी, के. के., (2021). पंचायत योजना के माध्यम से नए भारत का निर्माण प्रष्ठ संख्या 47 कुरुक्षेत्र ,नई दिल्ली।
3. अरुण तिवारी ,2022 अप्रैल ,पंचायती राज महिलाये प्रष्ट संख्या -34 कुरुक्षेत्र नई दिल्ली।
4. सन्नी कुमार ,2020 मई ,पंचायत से स्वच्छता अभियान तक महिलाओं की सफलता गाथा , प्रष्ठ संख्या 35 कुरुक्षेत्र नई दिल्ली।
5. डा. अंजलि त्रिपाठी , डा. अरुणोदय बाजपेयी ,2010 जून ' महिला सशक्तीकरण, प्रष्ठ संख्या 2006 ,प्रतियोगिता दर्पण ,नई दिल्ली
6. मनोज कान्त उपाध्याय , 'महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास एवं चुनौतियाँ , प्रष्ठ संख्या – 39 कुरुक्षेत्र नई दिल्ली।
7. कु. वंदना वर्मा, (2010). 'पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण महिलओं की परिवर्ती प्रस्थिति' पृ.सं. 54- 57, राधा कमल मुखर्जी : चिंतन परम्परा. उ. प्र.
8. डॉ सरोज तोमर, डॉ अशोक कुमार 2010 जनवरी- जून ' पंचायती राज एवं महिला सशक्तीकरण : एक अनुभाविक अध्ययन' पृ. सं. 79-82 राधा कमल मुखर्जी : चिंतन परम्परा उ. प्र.।